दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 11 जनवरी 2025 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 104

महत्वपूर्ण एवं खास

छात्रों को बड़ी राहत, जेईई एडवांस्ड में तीसरा अटेम्प्ट दे सकेंगे ये छात्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। जेईई एडवांस 2025 में प्रयासों की संख्या को बढ़ाकर कम करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को संयुक्त प्रवेश बोर्ड की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार तीन बार जेईई एडवांस देने की अनुमति दी जाएगी। याचिका 22 स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई थी। अदालत ने जॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) को निर्देश दिए कि वह इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। हालांकि कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर वापस दो करने के बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। दरअसल, बोर्ड ने 5 नवंबर 2024 को प्रेस रिलीज के माध्यम से जेईई एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या बढ़ाई थी। इससे पहले छात्र केवल दो बार ही दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन 5 नवंबर को जेईई एडवांस्ड में बैठने की सीमा को दो से बढ़ाकर तीन कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही 18 नवंबर 2024 को बोर्ड ने एक और प्रेस रिलीज जारी कर अपने फैसले को वापस लेने की सूचना दी।

12वीं के छात्र ने फैलाई थी दिल्ली के स्कूलों में बम की झूठी अफवाह, पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि एक 12वीं के स्टूडेंट ने कॉल करके झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने उस छात्र को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस छात्र से पूछताछ कर रही है। बताया गया कि छात्र नाबालिग है। परीक्षा को रद्द कराने के मकसद से उसने यह मेल भेजा था। जी-मेल भेजकर स्कूलों में बम होने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया छात्र मास्टरमाइंड है। साजिश में कई और छात्र शामिल थे, जिनके बारे में जांच जारी है। बता दें कि तबुधवार सुबह 10 स्कूलों को ई-मेल भेजकर धमकी दी गई थी, जिसके बाद सभी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई थी। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि उसने दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों को 23 ईमेल भेजे थे। दिल्ली पुलिस भी स्कूलों की जांच में हलकान रही। सिर्फ दिसंबर में ही 100 से अधिक स्कूलों को इस तरह के झूठे धमकी भरे ईमेल भेजे गए। पिछले महीने रोहिणी के एक स्कूल में बम की धमकी भेजने वाले भी स्कूल के ही दो छात्र निकले थे। उन्होंने भी परीक्षा स्थगित कराने के लिए यह तरीका अपनाया था।

अमृतसर के गुमटाला चौकी के बाहर ब्लास्ट, बब्बर खालसा ने ली जिम्मेदारी; 47 दिनों में नौवीं घटना

अमृतसर (आरएनएस)। पंजाब के अमृतसर में स्थित गुमटाला चौकी के बाहर ब्लास्ट हुआ है। सूत्रों के अनुसार, इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने ली है, वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह धमाका गाड़ी का रेडिएटर फटने से हुआ है। एसीपी शिव दर्शन ने बताया कि गुमटाला चौकी इंचार्ज ने विस्फोट की आवाज सुनी। इसके बाद उन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि गुमटाला चौकी के बाहर खड़ी पुलिस अधिकारी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जब उसे चेक किया गया तो पता चला कि उसका रेडिएटर फटा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि धमाके की असल वजह यही है। एसीपी शिव दर्शन सिंह ने कहा कि ब्लास्ट से संबंधित कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर झूठी फैलाई जा रही है कि थाने के बाहर धमाका हुआ है। हालांकि, ये ब्लास्ट गाड़ी का रेडिएटर फटने से हुआ है, धमाका ज्यादा जोरदार नहीं था और जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ है। धमाका रात साढ़े नौ बजे के करीब हुआ था। उन्होंने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की है। बता दें कि गुमटाला पुलिस चौकी के पास ही आर्मी कैंट इलाका भी पड़ता है। इसके अलावा चौकी से कुछ मीटर दूरी पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का आवास भी है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले भी अमृतसर के पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अजनाला में पुलिस स्टेशन के बाहर आरडीएक्स रखने का मामला सामने आया था और उसके बाद गुरबख्श नगर चौकी में सुबह-सुबह ब्लास्ट किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा ने ली थी।

छत्तीसगढ़ में बनेगा एशिया के सबसे पुराने जीवाश्म का फ़ॉसिल्स पार्क

हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला

❐ देश के सबसे प्राचीन समुद्री जीवाश्मों से जुड़ेगा छत्तीसगढ़ का नाम

नई दिल्ली । आरएनएस

छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ जिला अब इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनने जा रहा है। यहां हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार एक मैरीन फॉसिल्स पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही हैं। यह पार्क न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे एशिया का गौरव बनने वाला है।वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी करोड़ों साल पहले लिखी गई थी, और मनेन्द्रगढ़ का यह जीवाश्म उसी कहानी का सजीव प्रमाण है। जीवाश्मों में बाइवाल्व मोलस्का, यूरीडेस्मा, एवीक्युलोपेक्टेन, और क्रिनॉएड्स जैसे समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं, जो धरती के पुराने जलवायु और भूगर्भीय बदलावों की गवाही देते हैं। 28 करोड़ साल पहले, वर्तमान हसदेव नदी के स्थान पर एक विशाल ग्लेशियर हुआ करता था। भूगर्भीय बदलावों के चलते, यह क्षेत्र 'टाथिस समुद्र' का हिस्सा बना और समुद्री जीव-जंतु यहां तक पहुंचे। हालांकि ये जीव धीरे-धीरे विलुप्त हो गए, लेकिन उनके अवशेष आज भी यहां मौजूद हैं।1954 में पहली बार इस क्षेत्र की खोज भूवैज्ञानिक एसके घोष ने की थी। इसके बाद, 2015 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, लखनऊ ने इन जीवाश्मों के महत्व की पुष्टि की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 1982 में इस क्षेत्र को नेशनल जियोलॉजिकल मोनूमेंट्स के रूप में मान्यता दी। मैरीन फॉसिल्स पार्क के रूप में विकसित होने के बाद, यह क्षेत्र एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए खुल जाएगा। यहां आने वाले सैलानी करोड़ों साल पुराने जीवों की उत्पत्ति और उनके विकास की कहानी को देख और समझ सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस परियोजना को विशेष महत्व दे रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, लखनऊ की टीमों ने इस क्षेत्र का अध्ययन कर इसकी संभावनाओं का जायजा लिया है। उम्मीद है कि यह पार्क छत्तीसगढ़ को वैश्विक नक्शे पर एक नई पहचान देगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक नए आवासों की घोषणा

❐ डबल इंजन की सरकार गरीबों को दे रही पक्के मकान का तोहफा : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों के लिए आशा की किरण है। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ में 8 लाख 47 हजार मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और नए पात्रता मानदंडों के तहत अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद 18 लाख मकानों की स्वीकृति दी और तेजी से निर्माण कार्य सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गारंटीशुदा वादों को पूरा करने के लिए राज्य में सटीक योजना और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति स्व-सहायता समूहों को सौंपकर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।

तेलंगाना : सूर्यपेट में प्राइवेट बस की लॉरी से जोरदार टक्कर, चार की मौत

सूर्यपेट । आरएनएस

तेलंगाना के सूर्यपेट में शुक्रवार को एक सडक़ हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा सूर्यपेट-खम्मम राष्ट्रीय राजमार्ग के चिव्वेनला (एम) ऐलापुरम के पास हुआ।

शुक्रवार सुबह सूर्यपेट-खम्मम राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राइवेट ट्रैवल बस की एक लॉरी से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा 17 अन्य घायल हो गए।

यह हादसा उस समय हुआ, जब प्राइवेट बस ओडिशा से हैदराबाद जा रही थी। जानकारी के अनुसार, बस में कुल 32 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश मजदूर थे। जो काम के लिए हैदराबाद जा रहे थे।

जैसे ही बस चिव्वेनला (एम) ऐलापुरम के पास पहुंची तो उसकी लॉरी से टक्कर हो गई। इस हादसे के दौरान बस का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसका अंदाजा उन तस्वीरों से होता है जो हादसे के बाद सामने आई हैं।

वहीं, हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। साथ ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मृतकों की पहचान ओडिशा के मजदूरों के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि बस का टायर फटने के बाद यह हादसा हुआ है। जो रास्ते में खड़ी एक लॉरी से टकरा गया।

पुलिस के अनुसार, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य हादसे की अन्य वजहें तलाशी जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 'ऑनलाइन गेमिंग' सेक्टर को दी राहत, जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। फैसले के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया।

सक्सेना ने कहा, यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है। हम इस मुद्दे के निष्पक्ष और प्रगतिशील समाधान को लेकर आश्वस्त हैं, जिसके बाद हम गेमिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और वैल्यूएशन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ते देखेंगे।

डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है। जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

अगस्त 2023 में, जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर।

आरक्षण से बाहर करना सरकार का काम, क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 75 सालों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं, लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना होगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र करते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की। संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। जस्टिस गवई भी संविधान पीठ का हिस्सा थे और उन्होंने एक अलग निर्णय लिखा था। उन्होंने कहा था कि राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी क्रीमीलेयर की पहचान करने की नीति बनाई जानी चाहिए। उनमें जो लोग सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें ऐसी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने की बात कही गई थी। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग छह महीने बीत चुके हैं। पीठ ने जब याचिका पर सुनवाई के प्रति अनिच्छा जाहिर की तो वकील ने याचिका वापस लेने और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पक्ष रखने की अनुमति मांगी, जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सके। पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। जब वकील ने तर्क दिया कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंतत: सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो अदालत ने कहा, विधायिका कानून बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने एक अगस्त को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि एससी-एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य एससी-एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने पांच न्यायाधीशों के ईवी चिनैया (2004) मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया था। ईवी चिनैया फैसले में पांच न्यायाधीशों ने कहा था कि एससी-एसटी एक समान समूह वर्ग हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। एक अगस्त के फैसले में कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण पर तो मुहर लगाई ही थी। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमीलेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया था। छह न्यायाधीशों ने एक दूसरे से सहमति जताने वाला फैसला दिया था, जबकि जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि एससी-एसटी का उपवर्गीकरण संवैधानिक प्रविधानों के विरुद्ध है। अनुच्छेद-341 और अनुच्छेद-342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है और राज्यों को यह अधिकार नहीं है।

पिछले साल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के 'मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों' के आधार पर उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, न कि सनक' और 'राजनीतिक लाभ' के आधार पर। सात जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपने आप में एक समरूप वर्ग हैं।

कोहरे का कहर: एनएच-9 पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ीं, कई घायल

हापुड़ । आरएनएस

हापुड़ जिले में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (एनएच-9) पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 7.30 बजे थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली बॉर्डर के पास काली नदी पुल पर हुआ। मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जा रही एक मारुति ईको अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस टक्कर में इमरान पुत्र इकबाल और हीना पत्नी इकबाल घायल हो गए।

कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के चलते पीछे से आ रही अन्य गाडिय़ां भी एक-दूसरे से टकरा गईं। दुर्घटना में एक पिकअप, एक आर्टिका, एक मारुति वैन और एक स्विफ्ट कार भी शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, पीछे से टकराने वाली गाडिय़ों में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरंत हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

मेरठ में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या, बेड के अंदर छुपाए गए शव

मेरठ । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक भयावह वारदात सामने आई है। यहां पर एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई। वहीं, कुछ शव बेड के अंदर छिपा दिए गए। यह घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन के पास की है। यहां पर घर के अंदर पति-पत्नी और उनकी तीन बेटियों की लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतक मोइन पेशे से राजमिस्त्री था। मोइन और उसकी पत्नी साथ के तीन बेटियों की मौत हो गई।

पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हत्या की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और डॉग स्क्वॉड से हत्या के सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों में मोइन, उसकी पत्नी आसमा, तीन बच्चे अफ्सा (8), अजीजा (4), अदीबा (1) शामिल हैं। सभी के शव एक ही कमरे में मिले, साथ ही बच्चों की लाशों को बेड के अंदर छुपा दिया गया था।

हत्या की वारदात का पता तब चला, जब मृतक मोइन का भाई सलीम गुरुवार शाम को घर पहुंचा। जब सलीम अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला, इसके बाद पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि बुधवार से कोई दिखाई नहीं दे रहा। जबरदस्ती दरवाजा तोडक़र अंदर जाने पर सभी दंग रह गए। पूरा परिवार मृत मिला। एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली गई। इस घटना से सभी लोग दंग हैं।

सीएम योगी ने किया मां की रसोई का उद्घाटन, मात्र 9 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन

महाकुंभ नगर । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की ओर से शुरू की गई इस सेवा पर प्रसन्नता जाहिर की और खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही सुविधाओं की भी सराहना की। उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई के किचन का भी अवलोकन किया।

प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सीएम योगी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद सीएम डाइनिंग रूम में भी पहुंचे, जहां लोगों को बैठाकर खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। यहां मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से थाली लगाकर वहां उपस्थित लोगों की सेवा की।

इसके बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उन्हें लेकर सीधे किचन पहुंचे, जहां खाना तैयार किया जाता है। यहां उन्होंने खाने की गुणवत्ता से लेकर अन्य सभी प्रबंधों के विषय में सीएम योगी को जानकारी दी।

सीएम योगी ने रसोई का निरीक्षण करते हुए वहां साफ-सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सेवा भाव से शुरू की गई इस रसोई की सीएम योगी ने प्रशंसा की। इस दौरान पूरे प्रांगण में जय श्री राम का उद्घोष भी होता रहा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यह सेवा शुरू की गई है। इसमें मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। थाली में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई दी जाएगी।

इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और जगदगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास (सतुआ बाबा) उपस्थित रहे।